(1)

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–13/2021 **धारा–144 द0प्र0स0**

सुमा देवी–बनाम– युसुफ अंसारी वगै0

तारीख	–:आदेश:–	अभियुक्ति
	आवेदक के आवेदन के पश्चात संतुष्ट होकर उभय पक्षों के विरूद्ध मौजा ककरोली थाना चौपरण, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0 67, प्लॉट सं0 1004 रकबा 80 डी0 भूमि जिसका चौहदी उ0–खलील मियां वगै0 द0–लीलो मिया पू0–मदरसा प0–सीमाना सुदन वाली भूमि पर धारा–144 द0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर भूमि संबंधी कागजात एवं कारणपृच्छा की मांग की गयी। आवेदक अपने आवेदन पत्र में लिखित बयान दिया है कि विवादित भूमि खाता सं0 67, प्लॉट सं0 1004 रकबा 80 डी0 इनके पूवर्ज कुजल तुरी को जमीनदार सोतोपोतो मुखर्जी के द्वारा हासिल है कुंजल तुरी के मरनोपरात उनके उत्तराधिकारी के द्वारा शतिपुर्वक दखल कर खेती–बारी कर जोत अबाद करते चले आ रहे है अभी कोलेश्वर तुरी(आवेदिका के पिता/पति) का ईलाज के0एफ0 मेडिकल प्रा0 लि0 कलकता (प0बंगाल) में गभीर बिमारी का ईलाज चल रहा है जिसका विपक्षीगण नाजायज फायदा एवं जाली कागज दिखाकर बाजबरन मेरी दखल कब्जा वाली भुमि पर मकान बनाने हेतु बुनियाद खोदने पर उतारू है। द्वितीय पक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारणपृच्छा दाखिल किया जिसमें उल्लेख किया है कि खाता सं0 67, प्लॉट सं0 1004 रकबा 80 डी0 साकिन सुदन थाना बरकटठा हाल थाना चलकुशा जिला हजारीबाग मे अवस्थित है जो भूमि 1 बीबी रजिया पति बरसात मियां 2. रहिमनी पति मुस्लिम मियाँ साकिन कटघरा प्रगाना रामपुर थाना बरकटठा हाल थाना चलकुशा जिला हजारीबाग ने बैयला कलामी बिक्रय पत्र द्वारा दिनांक 10.03.1989 को प्राप्त किये जिसका दाखिल खारिज करवाकर सरकारी रशिद प्राप्त कर रहे है खरीदगी के बाद से अभी तक शातिपूर्ण दखल–कब्जा मे चले आ रहे है। उक्त विवादी भुमि पर प्रथम पक्ष द्वारा पूर्व मे ही घर बनाया गया है तथा इस केश के पूर्व एक केश धारा 144 द0प्र0स0 का वाद सं 20/2020 लक्ष्मी देवी बनाम युसुफ मिया का किया गया था । उभय पक्षों को नोटिस का तामिला किया गया एवं नोटिस प्राप्ति के पश्चात द्वितीय पक्ष द्वारा न्यायालय में हर एक तारिख को अपनी उपस्थिति दर्ज की तथा अपने पक्ष मे कारणपृच्छा दाखिल किया वही प्रथम पक्ष ने न तो पिछले सात (7) तारिख पर न ही खुद उपस्थित हुए और न ही किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया एव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रथम पक्ष को दुरभाष से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि इस वाद के संबंध में मुझे कोई जानकारी नही है तथा किसी प्रकार का केस दर्ज नही किया है। द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा उवं विज्ञ अधिवक्ता के सुनने तथा प्रथम पक्ष द्वारा एक ही खाता प्लॉट पर अलग–अलग नाम से वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करना तथा न्यायालय में कभी उपस्थित न रहना और न ही अपने दावे के समर्थन मे कोई भी गवाही अथवा अन्य कागाजात/प्रतिवेदन उपस्थित करने से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष को वाद के संबंध में किसी प्रकार की कोई अभिरूचि नही है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को लेकर इस न्यायालय से कोई आदेश पारित करना न्याय संगत नही होगा। अतः यह कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित K.M. 20/03/21 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग K.M. 20/03/21 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग	

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.08 23:07:43 +05:30
Location: 192.168.101.22